उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– 7/XX–4/2019–1(06)/2013
देहरादून : दिनांक 28 जून, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या–463/XX–4/2019–1(6)/2013, दिनांक 24–06–2019 के द्वारा 'उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) (संशोधन) नियमावली, 2019' प्रख्यापित की गयी है।

मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 04–06–2019 में पारित निर्णय के क्रम में

यह नियमावली निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–523/XX–4/2019–01(06)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि नियमावली को सरकारी गजट पर प्रकाशित कराकर इसकी 150–150 प्रतियां गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–463 /XX–4/2019–1(6)/2013
देहरादून : दिनांक 24 जून, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 432 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(4) यह नियमावली उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, सिद्धदोष बन्दियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के बाहर परिरूद्ध हों, किन्तु वह निम्नलिखित पर लागू नही होगी :–

(क) ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नही है, सिद्धदोष बंदियों पर;

(ख) ऐसे बंदियों पर जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अन्य आपराधिक मामला लम्बित हो;

(ग) ऐसे बंदियों पर जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हैं, जिसके लिए दण्डादेश का निलम्बन किसी विधि में अनुमन्य नही है।

नियम–3 का संशोधन

(5) उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(2) सरकार अग्रेत्तर आवश्यकता होने पर उपनियम (1) में उल्लिखित किन्ही आधारों पर दण्डादेश के निलम्बन की अवधि 02 माह की अवधि तक बढ़ा सकेगी जिसमें की नियम–3(1) में स्वीकृत अवधि भी सम्मिलित होगी।	**3(2) (क) सरकार अग्रेत्तर आवश्यकता होने पर उपनियम (1) में उल्लिखित किन्ही आधारों पर नियम 3(1) में स्वीकृत अवधि को सम्मिलित कर दण्डादेश का निलम्बन की अवधि 02 माह की अवधि तक बढ़ा सकेगी।** **(ख) सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राप्त अनुरोध पत्रों पर नियम 5 में उल्लिखित प्रकियानुसार 02 माह से अनधिक दण्डादेश का निलम्बन प्रत्यक्षतः भी स्वीकृत कर सकेगी।**

नियम–7 का संशोधन

(6) मूल नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के पश्चात् निम्नवत् उपनियम अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

(5) किसी बंदी को एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार ही दण्डादेश का निलम्बन स्वीकृत किया जायेगा।

परन्तु यह कि नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) व (ग) में उल्लिखित आधारो के परिप्रेक्ष्य में अपरिहार्य परिस्थितियों में एक कैलेण्डर वर्ष में दूसरी बार भी दण्डादेश का निलम्बन स्वीकृत किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

20.6.18

(नितेश कुमार झा)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no....463.....dated 24-6-2019. for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
HOME SECTION-4
No - 463 /XX-4/2019-1(6)/2013
Dehradun, Dated: 24 June , 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974 AD) the Governor is pleased to makes the following rules with a view to further amend the Uttarakhand (Suspension of Sentences of Prisoners) Rule, 2017.

THE UTTARAKHAND (SUSPENSION OF SENTENCES OF PRISONERS) (AMENDMENT) RULE, 2019

Short title, commencement and extend

(1) These rules may be called The Uttarakhand (Suspension of Sentences of Prisoners) (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall extent to the whole of the State of Uttarakhand.

(4) These rules shall apply to the prisoners convicted by the court of Uttarakhand for such offence on which the executive power of the State extends whether they are detained within the State of Uttarakhand or outside the state under judicial custody of outside the State, but it shall not apply to :

(A) The prisoners convicted for such offence to which the executive power of the State does not extend.

(B) The convicted prisoners who have other criminal cases pending against them in before the court.

(C) The convicted prisoners who have been sentenced for such offense where suspension of sentence is not admissible in any law.

Amendment of rules 3

(5) In The Uttarakhand (Suspension of Sentences of Prisoners) Rule, 2017 (here in after referred to as Principal rules) existing sub rule (2) of rule 3 as set out in column-1 below as rule set out in column-2 shall be substituted; Namely:-

Column-1 **Existing Rules**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
3(2) The Government may on further requirement extend the period of suspension of sentence referred to in sub-rule (1) for a period not exceeding two month, In which the accepted period of rule 3(1) will also be included	3(2) (a) The Government may on further requirement extend the period of suspension of sentence on any grounds mentioned in sub rule (1) for a period of two month, including the period accepted in rule 3(1).

(b) On receiving application in case of inevitable circumstances, the Govenment may also directly accept the suspension of the sentences for not more than 02 months by following the procedure of rule 5.

Amendment of rule 7

(6) In Principal rules after sub rule (4) of rule 7 following sub rule shall be inserted, namely :-

(5) In a calender year only one time suspension of sentence shall be approved for any prisoner;

Provided that in inevitable circumstances relative to grounds mentioned in clause (a), (b) and (c) of sub rule (1) of rule 3 suspension of sentence second time in one calendar year may be accepted.

by order,

27.6.19

(Nitesh Kumar Jha)
Secratary